The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण पहलें

श्याम

असिस्टेंट प्रोफेसर, बी0एड्0 विभाग,
मदन मोहन मालवीय पी0जी0 कॉलेज
भाटपार रानी, देवरिया, उत्तर प्रदेश
ई0मेल– cs919151@gmail.com
Mob. 8303312767

सारांश

वर्तमान युग पहले के किसी भी समय से अधिक गतिशील है। कई तरह की नीतियाँ, कार्यक्रम एवं व्यवस्थाएं जो पहले स्थाई किस्म की प्रतीत होती थीं, वो आज परिवर्तन की राह पर हैं। वैश्विक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के सापेक्ष एक नागरिक और राष्ट्र के रूप में हम इतने तैयार हों, कि इन परिवर्तनों को अपने अनुकूल साध सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति में जो सबसे बड़ा उपकरण है वो है– शिक्षा।

21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के विविध आयामों में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में वर्तमान की जरूरतों तथा भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा करने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण दस्तावेज है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 औपनिवेशिक मानसिकता को दूर कर स्वाभिमान और आत्मनिर्भर समाज की निर्मिति का सूत्रपात है। दशकों से चली आई शिक्षा व्यवस्था की संरचना में आमूल–चूल परिवर्तन का दृढ़ संकल्प लिए इस शिक्षा नीति का उद्देश्य श्रेष्ठ मनुष्यों को निर्मित करना है। ऐसा मनुष्य जो तार्किक क्षमता, दक्षता व कौशल के साथ मानवोचित संवेदना, करूणा, साहस, सहानुभूति व आत्मवत् सर्वभूतेषु की भावना से सम्पृक्त हो जिसमें ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कार व नैतिक मूल्यों का प्रकटीकरण हो। नई शिक्षा नीति भारत के इक्कीसवीं सदी के आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप है। इसमें भारत को ज्ञान क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया है लेकिन यह अपने दृष्टिकोण में वैश्विक होने के साथ ही भारत केन्द्रित

भी है। यह मानवाधिकारों, संवहनीय विकास और जीवन–शैली तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाले ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है।

नई शिक्षा नीति पाँच आधार भूत स्तम्भों– एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकांउटेबिलिटी के साथ भविष्य में आगे बढ़ने का मंतव्य प्रदान करती है। यह नीति भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ी छलांग है। समावेशी और सार्वभौमिक शिक्षा के माध्यम से समाज के अन्तिम छोर पर बैठे विद्यार्थी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के संकल्प को लेकर प्रतिबद्ध है। यह नीति भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति बनाने में समर्थ बनाएगी। भारत और इण्डिया के बीच के अवरोध को समाप्त कर भारत के विश्वबन्धुत्व, मानवतावादी दृष्टिकोण को अंगीकृत करते हुए आधुनिक ज्ञान–विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ भारत के शाश्वत् मूल्यों, संस्कारों से युक्त मानव संसाधन को तैयार करने का भरोसा दिलाती है। आने वाले भविष्य में इस नीति के क्रियान्वयन से शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे जैसे च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, बहुविषयक शिक्षण संस्थानों की स्थापना, नवाचार व शोध को प्रोत्साहन, शिक्षक–शिक्षा व प्रशिक्षण को आधुनिक तथा पेशेवर बनाना, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग एवं क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसी भविष्य की तकनीक एवं कौशलों को बढ़ावा देना आदि। नई शिक्षा नीति नव भारत निर्माण की मजबूत आधारशिला बनकर सभी देशवासियों के मनोरथों को सिद्ध करेगी।

मुख्य शब्द– संवहनीय विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, मशीन लर्निंग, समग्र एवं बहु–विषयक शिक्षा, डिजिटल शिक्षा।

DIALOGUE

प्रस्तावना :

शिक्षा किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है, शायद इसीलिए शिक्षा को 'शाश्वत् मूल्य' के रूप में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र समाज की आवश्यकताओं, उपलब्ध संसाधनों एवं वैश्विक दृष्टिकोण से भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की प्रणाली में व्यापक परिवर्तन करता है, ताकि दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ सके। सन् 1947 में स्वाधीनता के बाद भारत ने भी शिक्षा को एक नई दिशा देने के लिए कई समितियों, आयोगों का गठन करके व्यापक स्तर पर नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया। सन् 1964–66 में गठित कोठारी आयोग ने समग्र रूप से शिक्षा के सभी स्तरों के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इसी के बाद आजाद भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन् 1968 में बनाई गयी। लगभग 18 वर्ष के बाद सन् 1986 में दूसरी राष्ट्रीय नीति देश के सामने आई। तेजी के साथ बदलती वैश्विक परिस्थितियों के प्रकाश में लम्बे समय से देश के लिए एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, राजनैतिक दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर

पर अपना स्थान बनाने के लिए तथा ज्ञान आधारित समाज की संरचना को फलीभूत करने के उद्देश्य से 29 जुलाई, 2020 को 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति तथा आजाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई। करीब 34 साल बाद आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गये हैं। इसमें ज्ञान, विज्ञान, कौशल, नवाचार, शोध, तकनीक को शामिल करने के साथ–साथ शिक्षा में आए ठहराव को समाप्त किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 शिक्षा में निरन्तरता, जीवन्तता, सार्थकता, उपयोगिता तथा वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा गया है। निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति की गहनता और व्यापकता भारत को विश्व गुरु बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

नई नीति नया दृष्टिकोण –

भारत को एक ज्ञान आधारित समाज में विकसित करने के लिए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को कहीं ज्यादा समावेशी बनाया गया है। नई नीति को 21वीं सदी की जरूरतों को देखते हुए काफी लचीला और बहु–विषयक शिक्षा प्रणाली के लिए तैयार किया गया है ताकि इसके जरिए हर छात्र की विशेष क्षमता का सदुपयोग किया जा सके। प्रत्येक देश अपने मूल्यों और लक्ष्यों के अनुसार अपनी शिक्षा प्रणाली में सुधार लाता है। अन्तिम लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का युवा अपने भविष्य के लिए तैयार हो सके। इससे शिक्षा में बदलाव के जरिए देश में बेहतर विद्यार्थी, पेशेवरों और बेहतर इंसान देने का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद की एक लम्बी प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस नीति का पूरे देश में दिल खोलकर स्वागत हुआ है। छात्रों, अध्यापकों, शोधार्थियों के शैक्षिक नेतृत्व की सोंच में व्यापक बदलाव का मार्ग प्रशस्त होगा।

सतत विकास एजेंडा–2030 के लक्ष्य–4 में वैश्विक स्तर पर सन् 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन–पर्यन्त शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने'' का लक्ष्य रखा गया है। भारत सरकार इसके प्रति सचेष्ट है और सन् 2015 से सुनिश्चित इस लक्ष्य के बाद सरकार ने कई दीर्घकालिक योजनाओं के साथ काम करना शुरू किया है। शिक्षा नीति 2020 में गुणवत्ता युक्त शिक्षा हेतु कई महत्वपूर्ण प्रावधानों को स्थान दिया गया है। छात्रों की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान कर इसके अनुरूप उनको प्रोत्साहित किया जायेगा। शिक्षा को अधिक लचीला बनाया गया है ताकि छात्र शिक्षा को बोझ नहीं बल्कि रुचिकर ढंग से ग्रहण करे। कला और विज्ञान, पाठ्यक्रम और पाठ्येत्तर क्रियाकलापों तथा व्यावसायिक और औपचारिक शिक्षा के बीच के कठोर विभाजन को समाप्त कर शिक्षा को सरल और समावेशी बनाने का प्रयास किया गया है। छात्र अब अपनी रुचि के अनुसार मुख्य विषयों के साथ किसी भी स्ट्रीम के विषय का चुनावकर उसका अध्ययन कर सकता है। विज्ञान का छात्र अब संगीत, इतिहास और दर्शन का भी अध्ययन कर सकेगा। शिक्षा में नवोन्मेष, रचनात्मकता और आलोचनात्मक चिन्तन के साथ छात्रों को ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में बेहतर परिवेश प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। शिक्षण और ज्ञानार्जन में प्रौद्योगिकी के विस्तृत उपयोग, भाषा के अवरोधों को दूर करने तथा दिव्यांग छात्रों के लिए पहुँच बढ़ाने

पर बल दिया गया है। तीसरी कक्षा के सभी छात्रों के लिए बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान हासिल करने के सम्बन्ध में कई प्रावधानों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्राथमिकता प्रदान की गई है ताकि प्रारम्भिक स्तर पर बच्चों को समान रूप से एक न्यूनतम स्तर का ज्ञान व समझ हो पाये। वैश्विक परिस्थितियों एवं रोजगार की प्रकृति में आ रहे परिवर्तनों की वजह से अब इस बात पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक हो गया है कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसके साथ ही सतत् सीखते रहने की कला भी उनमें विकसित करनी होगी। इसलिए विषय–वस्तु पर जोर देने की बजाय बच्चों को समस्या–समाधान, तार्किक चिन्तन एवं रचनात्मक रूप से कार्य करने की ओर उन्मुख करना आवश्यक है। बच्चों को एक साँचे में ढालने की बजाय उन्हें जिज्ञासु बनाना होगा ताकि वे विभिन्न विषयों के बीच अंतर्सम्बन्धों को खोज पायें, कुछ नया विचार कर पायें और नई–नई जानकारियों को बदलती हुई परिस्थितियों तथा क्षेत्रों में उपयोग कर पाएं। शिक्षा नीति 2020 पूर्व की दोनों शिक्षा नीतियों से ज्यादा समावेशी, व्यापक एवं लचीली है। यह नीति इस सिद्धान्त पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं का एवं उच्चतर स्तर की तार्किक एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए यह नीति विशेष प्रावधानों की अपेक्षा रखती है। सभी छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए स्कूली शिक्षा के दायरे को व्यापक बनाने की बात की गई है ताकि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अन्दर सीखने के विभिन्न रास्ते उपलब्ध हो सकें। औपचारिक शिक्षा से वंचित छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) कार्यक्रम का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। NIOS की तर्ज पर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे अपने राज्यों में पूर्व से स्थापित SIOS को सशक्त करके और नए संस्थानों की स्थापना करें और क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रमों को तैयार करके इन संस्थानों के जरिए समृद्ध किया जाए।

वर्ष 1986 में आई शिक्षा नीति के करीब साढ़े तीन दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली है। इस नीति की जरूरत बहुत पहले ही थीं, क्योंकि तकनीक, कौशल एवं उद्योग की जरूरतों के लिहाज से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यह नीति शीर्ष नेतृत्व के दृढ़ संकल्प और एक भागीरथ प्रयास का परिणाम है। यह भारत को विश्व शक्ति बनाने की राह पर ले जायेगी और उसकी बुनियादी ज्ञान पर आधारित होगी। यह नीति शैक्षणिक ढांचे में व्यापक बदलाव करने वाली है। शिक्षा में गवर्नेस, डिलीवरी और उसके वित्त पोषण के लिहाज से यह पारिभाषिक, संस्थागत ढाँचे से लेकर परिचालन के स्तर तक परिवर्तन एवं कायाकल्प करने वाली है। जहाँ तक प्रभाव के दृष्टिकोण से बड़े बदलाव की बात है तो हमने शिक्षा को एक नई दिशा और गति प्रदान की है। नई शिक्षा नीति व्यावसायिक शिक्षा के साथ ही पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के लिए आधार तैयार करती है। कला, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान में विकल्पों की भरमार के साथ क्रेडिट ट्रांसफर के साथ ही मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की पेशकस भी करती है, अर्थात् छात्रों को पाठ्यक्रम बदलने की सुविधा मिलेगी और उसमें पिछले पाठ्यक्रम में की गई उनकी मेहनत बेकार नहीं होगी। इस नीति के

लागू होने के साथ ही हर शैक्षणिक संस्थान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों की अपेक्षा भी की जा रही है, जिसमें तीन परिवर्तनों की पूर्ति संस्थानों को आने वाले समय में जल्द से जल्द सुनिश्चित करने होंगे अन्यथा नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में कई छोटी से बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। पहली आवश्यकता है कि तकनीकी रूप से संस्थानों को सक्षम बनना होगा, क्योंकि नीति के ज्यादातर प्रावधान अपने क्रियान्वयन हेतु नई तकनीक की अपेक्षा करते हैं। प्रवेश से लेकर परिणाम तक की सारी प्रक्रिया डिजिटल रूप में सम्पन्न होनी है, स्मार्ट क्लास रूम की आवश्यकता होगी तथा ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। दूसरी आवश्यकता व्यावसायिक रूप से कुशल और दक्ष शिक्षकों की है, क्योंकि नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन एवं अपेक्षित परिणामों हेतु शिक्षकों की भूमिका सबसे अहम होगी। तीसरी आवश्यकता एकल संस्थानों को बहुविषयक के रूप में स्थापित करने की है। इसके लिए संस्थानों को आधारभूत संरचना से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति, बेहतर सुविधाओं, तकनीकी सक्षमता और प्रभावी प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं करनी होंगी। नई शिक्षा नीति के लागू हुए दो वर्ष का समय हो चुका है, केन्द्र सरकार और राज्यों की सरकारों ने इस नीति के कई प्रावधानों को लागू भी कर दिया है। मसलन् सी0बी0सी0एस0, डिजिटल एजूकेशन, स्ट्रीम की बाध्यता को समाप्त करना, शिक्षकों का प्रशिक्षण तथा नए पाठ्यक्रमों का संचालन आदि।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आवश्यकता –

दुनिया तेजी से बदल रही है। उन बदली हुई परिस्थितियों में व्यक्ति, समाज, संस्थान एवं व्यवस्थाओं में परिवर्तन भी जरूरी हो जाता है। वैश्विक परिदृश्य तकनीकी रूप से, सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक रूप से, यहाँ तक कि परिवर्तनों के मॉडल भी खुद बदल रहे हैं। शिक्षा जो व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व सम्पूर्ण मानवता के विकास का आधार है, कोई भी समाज व राष्ट्र शिक्षा को दरकिनार करके प्रगति नहीं कर सकता। अलग–अलग समय पर आवश्यकताओं के दृष्टिगत शिक्षा की प्रणाली रही है। प्राचीन काल से आधुनिक समय तक शिक्षा की प्रणाली ने एक लम्बी यात्रा तय की है, जिसमें कई तरह के परिवर्तनों का समावेश भी रहा है। सन् 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत सरकार के द्वारा सन् 1968 में स्वतन्त्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी एवं सन् 1986 में पुनः भारत सरकार के द्वारा नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई जिसमें सन् 1992 में कुछ जरूरी परिवर्तन किए गये थे। 21वीं सदी के प्रथम दो दशकों तक इस नीति का अनुसरण किया जाता रहा। 34 वर्षों की दीर्घावधि के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में सक्षम, समृद्ध, सशक्त एवं ज्ञान, कौशल आधारित विकसित भारत की संकल्पना के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का अनुमोदन किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान व कौशल आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता में सुधार, नवाचार और अनुसंधान की नई तकनीकियों को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थीं। वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। भारतीय संस्थान और छात्र ज्ञान, तकनीक, कौशल और अनुसंधान के क्षेत्र में दुनिया के साथ कदम से

कदम मिलाकर चल सकें, इसके लिए जरूरी था कि 34 वर्षों से संचालित नीति में परिवर्तन करके एक नए विजन, उद्देश्य एवं संकल्प के साथ एक नई शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए। पिछली शिक्षा नीतियों में मुख्य फोकस सभी की शिक्षा तक पहुँच, आवश्यक भौतिक संसाधनों की पूर्ति तथा कुछ हद तक गुणवत्ता पर भी फोकस किया गया था। लेकिन वर्तमान में जितनी तेजी से तकनीक का विकास हुआ है, उद्योग में नए–नए कौशलों की माँग बढ़ी है। उसी के अनुरूप शिक्षा प्रणाली के हर पक्ष में परिवर्तन भी आवश्यक हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा में सुधार हेतु कई प्रयास भी किये गये हैं, जैसे–प्राथमिक शिक्षा (6–14 वर्ष) को मौलिक अधिकार के रूप में कानूनी स्वरूप प्रदान करना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के द्वारा माध्यमिक शिक्षा में जरूरी सुधार करना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के द्वारा उच्च शिक्षा में सुधार करना, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों का मानकीकरण एवं ग्रेडिंग सुनिश्चित करना, अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (SPARC) के द्वारा भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के बीच अकादमिक एवं अनुसंधान सहयोग को सुगम बनाकर भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान परिदृश्य को बेहतर बनाना तथा प्रधानमंत्री अध्येता योजना (PMRF) के तहत अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी डोमेन में अनुसंधान हेतु देश की प्रतिभाओं को डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए आकर्षित करने जैसे कार्यक्रमों के द्वारा शिक्षा को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन इन सभी के साथ शिक्षा के सभी आयामों को सम्मिलित करते हुए शिक्षा को एक नई दिशा तथा गति प्रदान करते हेतु व्यापक, समावेशी एवं दीर्घकालिक हितों की पूर्ति करने वाली शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। आवश्यकता थी ऐसी नीति की जो भारत की प्राचीन तथा सनातन भारतीय ज्ञान, परम्परा तथा सांस्कृतिक दर्शन व मूल्यों की समृद्ध विरासत के साथ सभी के लिए समावेशी तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करे। ज्ञान, विज्ञान व तकनीकी के क्षेत्रों में हो रहे तीव्र परिवर्तनों के लिहाज से युवाओं को बेहतर शैक्षिक अवसर उपलब्ध करा सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन सभी आयामों से सम्पृक्त है।

ज्ञान, प्रज्ञा तथा सत्य की खोज जैसे उदात्त लक्ष्यों से शिक्षा व्यवस्था को ओत–प्रोत करने की आकांक्षा को समर्थन देने एवं अधिगम को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ इस नीति को तैयार किया गया है। शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित तथ्यों और आँकड़ों पर गौर करें तो स्थिति चिन्ताजनक ही है। उदाहरण के तौर पर, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार अनुसंधान एवं विकास (R&D) से सम्बन्धित व्यय में वृद्धि GDP में वृद्धि के अनुरूप होनी चाहिए और इस व्यय को 2022 तक GDP का 02 प्रतिशत होना चाहिए। लेकिन यह लगभग 0.6 प्रतिशत से 0.7 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है जो कि अमेरिका 2.8 प्रतिशत, चीन 2.1 प्रतिशत, इजराइल 4.3 प्रतिशत और कोरिया 4.2 प्रतिशत जैसे देशों के निवेश से काफी कम है। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट (AISHE, 2021) के अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.85 करोड़ है तथा सकल नामांकन अनुपात (GER) 27.1 प्रतिशत है। क्यू0एस0 बर्ल्ड रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों में भारत का एक भी संस्थान नहीं है। शीर्ष 200 संस्थानों में तीन संस्थान ही अपनी जगह बना पाये हैं। शिक्षा पर GDP का 6 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य आजाद भारत की

पहली शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ शामिल किया गया था लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि 55 वर्षों बाद भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन सभी समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए समाधान के मार्ग सुझाए गये हैं। नई नीति में सरकारी खर्च के साथ निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा नीति में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन (NRF) की स्थापना का प्रावधान किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को सही रूप में विकसित और उत्प्रेरित करना है। वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (GER) को 50 प्रतिशत तक प्राप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है। भारतीय संस्थानों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने तथा विश्व रैंकिंग में सम्मानजनक स्थान प्राप्त करने हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, तकनीक, नवोन्मेष, अनुसंधान, इनक्यूबेशन सेण्टर तथा पेटेंट जैसे विषयों को प्रभावी बनाने का संकल्प भी नई नीति में स्पष्ट रूप से दिखता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 2020 की महत्वपूर्ण पहलें –

नई शिक्षा नीति में पिछली शिक्षा नीतियों के कई प्रावधानों को परिमार्जित रूप में स्थान दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो पहली बार शामिल किए गये हैं, और जो शिक्षा नीति को पिछली नीतियों की अपेक्षा ज्यादा दूरदर्शी और समयानुकूल बनाते हैं। शिक्षा नीति के नए विचार एवं दृष्टिकोण भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से अपनी भूमिका निभाएंगे। नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण पहलें निम्नवत् हैं–

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारतीय भाषाओं के महत्व को गम्भीरता से स्वीकार किया गया है। आजादी के बाद से ही भारतीय शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ी बुराई अंग्रेजी के प्रति मोह की रही है। देश की जनता की वास्तविक जीवन–स्थितियों से बेखबर रहकर और उनकी उपेक्षा अंग्रेजी का मोहग्रस्त प्रयोग देशी भाषाओं की कीमत पर होता रहा है। अन्ततः देश को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। नई शिक्षा नीति में पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा यथासंभव मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में अनिवार्य रूप से करने की बात की गई है। यदि संभव हो तो और कोशिश की जानी चाहिए कि आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं और मातृभाषा में हो। अंग्रेजी को एक विषय के रूप में ही पढ़ाया जाना चाहिए, माध्यम के रूप में बिल्कुल नहीं। उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी को कुछ छूट प्रदान की गई है और वह इसलिए कि आने वाले दिनों में धीरे–धीरे भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध हो जायेगी तो वहाँ भी भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की जगह ले लेंगी। निश्चित रूप से मातृभाषा और भारतीय भाषाओं के प्रति इस संकल्पबद्धता से भारतीय जनों में व्याप्त कुंठा दूर होगी और अपने स्वाभाविक विकास के माध्यम से ज्ञान सृजन में योगदान दे सकेंगे।

- नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचे को पुनर्गठित किया गया है। इसमें पूर्व के 10+2 की संरचना को 5+3+3+4 के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें 05 वर्ष फाउण्डेशनल स्टेज, 03 वर्ष प्रिपरेटरी स्टेज 03 वर्ष मिडिल स्टेज तथा अन्तिम 04 वर्ष सेकेंडरी स्टेज के रूप में शामिल किया गया है। इस शिक्षा नीति की शैक्षिक संरचना के दृष्टिकोण से बड़ा परिवर्तन 03 से 06 वर्ष के बच्चों को भी स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत शामिल किया जाना है। 03 वर्ष की यह शिक्षा आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जाती है जो मुख्य स्कूली शैक्षिक संरचना में शामिल नहीं है। लेकिन अब इस प्री–स्कूल (03–06 वर्ष) शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने की बात इस नीति में कही गयी है। 5+3+3+4 की संरचना में अब स्कूली शिक्षा को 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। इसमें प्री–स्कूल से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी कक्षा से पाँचवीं कक्षा तक दूसरा हिस्सा, छठी से आठवीं तक तीसरा हिस्सा और नौवीं से बारहवीं तक आखिरी हिस्सा होगा। यह पहला मौका है जब राष्ट्रीय शिक्षा–नीति ने स्कूल में दाखिले से पहले की पढ़ाई (प्री–स्कूल) के लिए सरकारी मदद देने की बात कही है। प्री–स्कूल में प्ले, नर्सरी और के0जी0 स्तर की शिक्षा आती है। इसके तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या–ज्ञान के विकास को एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में लिया जायेगा। NCERT शुरूआती 03 वर्ष के साथ 08 वर्ष की आयु तक के लिए National Curricular and Pedogogical Framework Early Childhood Care and Education (NCPFECCE) के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढाँचा विकसित करेगा जिससे आगे चलकर बच्चों का बेहतर विकास हो सके।
- समग्र एवं बहु–विषयक शिक्षा (Holistic and Multi-Disciplinary Education) के दृष्टिकोण को नई शिक्षा नीति में प्रभावी तरीके से शामिल किया गया है। समग्र एवं बहु–विषयक शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की समस्त क्षमताओं जैसे–शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावात्मक, सौन्दर्यात्मक तथा नैतिक को एकीकृत तरीके से विकसित करना है। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता निर्माण तथा किसी विशेष क्षेत्र में अच्छी विशेषज्ञता हासिल करने में मदद करेगी। समग्र एवं बहु–विषयक शिक्षा भारत के प्राचीन गौरव की पहचान है। तक्षशिला और नालन्दा जैसे विश्वविद्यालयों से लेकर ऐसे कई व्यापक साहित्य हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विषयों के संयोजन को प्रकट करते हैं। वास्तव में आज के स्कूलों में इस तरह के शैक्षिक संरचना की जरूरत है, ताकि हम 21वीं सदी और चौथी औद्योगिक क्रान्ति (उद्योग 4.0) का नेतृत्व कर सकें। हमें इस ओर बढ़ना होगा कि अभियांत्रिकी संस्थान जैसे IIT, कला और मानविकी के साथ तथा कला और मानविकी के संस्थान विज्ञान और तकनीक के साथ बेहतर एकीकृत संयोजन स्थापित करें। समग्र एवं बहु–विषयक शिक्षा सभी को हर चीज में विशेषज्ञ बनाने की परिकल्पना नहीं करती है बल्कि इसका उद्देश्य विद्यार्थी को सामान्य रूप से हर चीज के बारे में थोड़ा–थोड़ा जानना और किसी एक चीज के बारे में सब कुछ जानना है। नई शिक्षा

नीति में समग्र एवं बहु–विषयक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए गये हैं, जैसे–छात्रों को पाठ्यचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सेस के विकल्प दिये जाएंगे, IIT, IIM आदि के तर्ज पर मेरु (बहु विषयक शिक्षा और शोध विश्वविद्यालय) नामक मॉडल सार्वजनिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थान बहुविषयक संस्थान बनने का प्रयास करेंगे, 2030 तक देश के हर जिले में कम से कम एक बड़े बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु) होंगे। वर्ष 2035 तक IIT, IIM, NIT सहित सभी स्टैंड अलोन शैक्षणिक संस्थानों को बहु विषयक शैक्षणिक संस्थानों में परिवर्तित करने का प्रयास किया जायेगा।

- ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। कोविड महामारी के समय पर इस चीज की महती आवश्यकता भी महसूस की गयी थी। नई शिक्षा नीति यह सुनिश्चित करती है कि जब भी और जहाँ भी शिक्षा के पारम्परिक और विशेष साधन संभव न हों वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। 21वीं सदी का भारत डिजिटल इण्डिया अभियान का भारत है, जो एक ओर डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है तथा वहीं दूसरी ओर शिक्षा और प्रौद्योगिकी के सम्बन्धों की पहचान करते हुए प्रौद्योगिकी एकीकृत शिक्षण अधिगम को भी प्रोत्साहित कर रहा है। शिक्षा नीति–2020 ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के प्रयोग व एकीकरण को सुदृढ़ तथा बेहतर बनाने के लिए स्वायत्त निकाय के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF) के गठन की सिफारिश की है। ऑनलाइन शिक्षा में मूल्यांकन, ई–कंटेट की गुणवत्ता तथा ऑनलाइन शिक्षा की हानियों जैसे मूल्यांकन के लिए NETF, CIET, NIOS, IGNOU आदि ऐजेंसियों की पहचान कर पायलट अध्ययन की सिफारिश की गई है। वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयम, स्वयम प्रभा जैसे ई–लर्निंग प्लेटफार्म का उपयोग किया जायेगा तथा स्कूल और उच्चतर शिक्षा दोनों की ई–शिक्षा आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए मंत्रालय में डिजिटल बुनियादी ढाँचे, डिजिटल सामग्री और क्षमता निर्माण की व्यवस्था करने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित इकाई की स्थापना की जायेगी।

निष्कर्ष :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की दृष्टि अत्यन्त व्यापक और दीर्घकालिक है। इसमें प्री–स्कूल से लेकर शोध स्तर के अध्ययन और अध्यापन की बारीकियों को शामिल किया गया है। विज्ञान, तकनीक, डिजिटल शिक्षा तथा 21वीं सदी की जरूरतों के साथ भारत की दार्शनिक तथा सांस्कृतिक पहचान को भी शामिल किया गया है। इस शिक्षा नीति में शिक्षा के मौजूदा और इच्छित परिणामों के बीच के अन्तर को पाटने के लिए कई तरह के परिवर्तनों की सिफारिश की गई है। यह नीति अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ ही स्थानीय भी है। पिछली शिक्षा नीतियों की अपेक्षा इस नीति में शिक्षा के सभी स्तरों में व्यापक सुधारों को स्थान दिया गया है। सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय भी इस नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के प्रति गम्भीर

दिख रहा है। इन दो वर्षों के अन्दर सरकार ने विभिन्न कार्यक्रम, नीतियों एवं परिवर्तनों के माध्यम से अपनी इच्छाशक्ति का परिचय दिया है। इस नीति का लक्ष्य शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाना, सबसे कमजोर समूहों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना तथा भारत को शिक्षा के क्षेत्र में सिरमौर बनाना है। वास्तव में जड़ से जग तक, मनुज से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिन्दुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- अनुराग्यम्, नई शिक्षा नीति 2020 पर विचार विमर्श, (सम्पादक–डॉ0 तरूण माथुर), सितम्बर 2020, नई दिल्ली।
- योजना (मासिक पत्रिका), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (विशेषांक), सम्पादक–कुलश्रेष्ठ कमल, फरवरी 2022, नई दिल्ली।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक सिंहावलोकन (सम्पादक–डॉ0 गोपाल कृष्ण ठाकुर), महात्मा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, अगस्त 2020
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, विद्यालय शिक्षा एवं शिक्षकः एक समग्र दृष्टि, राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय, जयपुर, 2020।
- 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति (ई–विशेषांक), वर्ष : 2, अंक : 20, 14 सितम्बर, 2020।
- हंस शोध सुधा (त्रैमासिक पत्रिका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विशेषांक), वर्ष : 1, अंक : 3, जनवरी–मार्च 2021, हंसराज कॉलेज, नई दिल्ली।
- समसामयिक घटना चक्र (द्विमासिक पत्रिका), वर्ष : 28, अंक 4 अक्टूबर–नवम्बर 2020, इलाहाबाद, पृ0 09–13
- समसामयिकी क्रानिकल (मासिक पत्रिका), वर्ष :7, अंक :8, सिंतम्बर 2020, नोएडा, पृ0 13
- https://www.greaterkashmir.com/opinion/unifying-knowledge-through-multi-disciplinary-and-holistic-education.
- https://www.hindi.news18.com
- https://www.drishtiias.com/hindi/daily-news-analysis
- https://www.naidunia.com/editorial/expert-comment-multimentional-effects-of-new-education-policy-5910489.

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal
ISSN: 2583-438X
Volume-1, Issue-4, January 2023
www.theresearchdialogue.com
Certificate Number-January-2023/01

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

श्याम

For publication of research paper title

"राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण पहलें"

Published in 'The Research Dialogue' Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-04, Month January, Year-2023.

Dr.Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr.Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com